कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in E mail – prayas.ctd@gmail.com

क्रमांक/130/प्रयास/2022–23/888 नवा रायपुर, दिनांक 02/05/2023

–:संक्षिप्त विज्ञप्ति:–

स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 10वीं तथा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2023–24)

—000—

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों जिला–रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बालोद एवं कांकेर (छ.ग.) में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु **"रूचि की अभिव्यक्ति"** का ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है।

(i) रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	– 03/05/2023 सायं 05.00 बजे से
(ii) रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	– 10/05/2023, अपरान्ह 2.00 बजे
(iii) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	– 25/05/2023, सायं 5.30 बजे
(iv) प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना एवं तकनीकी मूल्यांकन	– 26/05/2023, सायं 03.00 बजे
(v) रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	– पृथक से दी जायेगी।

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाईट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी तथा नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट **www.tribal.cg.gov.in** तथा ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल **https://eproc.cgstate.gov.in** के निविदा क्रमांक 132956 से वांछित जानकारी/प्रपत्र का अवलोकन/डाऊनलोड कर सकते है।

(शम्मी आबिदी)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in E mail – prayas.ctd@gmail.com

क्रमांक / 130 / प्रयास / 2022–23 / 887 नवा रायपुर, दिनांक 02/05/2023

–:विस्तृत विज्ञप्ति:–

स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 10वीं तथा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2023–24)

----000----

1. **योजना का उद्देश्य :–** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 अंतर्गत प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जिला–रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बस्तर, कांकेर, बालोद एवं बिलासपुर में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 09वीं एवं 10वीं के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं यथा एन.टी.एस.सी., विज्ञान पहेली जेईई (मेंस / एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के बेसिक की तैयारी कराये जाने की योजना है। इसी तरह कक्षा 10वीं उत्तीर्ण / चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं / 12वीं की स्कूली शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं, जेईई (मेंस / एडवांस), एम्स, नीट, सी.ए. / सी.एस. / सी.एम.ए / क्लैट पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराये जाने की योजना है जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अखिल भारतीय संस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन संस्थाओं प्रवेश प्राप्त कर सके, साथ ही ये विद्यार्थी कक्षा 10वीं एवं 12वीं स्तर पर होने वाली बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर सकें।
2. **योजना संचालन का मोड :–** योजना के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कोचिंग हेतु शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल (सॉफ्ट / हार्ड कापी), संदर्भ पुस्तकें, मूल्यांकन आदि हेतु OMR टेस्ट तथा OMR मशीन की व्यवस्था चयनित कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस योजनांतर्गत निम्नांकित विद्यालयों के लिए "रूचि की अभिव्यक्ति" ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है:–

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	वर्ष	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)	संकाय (कक्षा 11वीं–12वीं हेतु)
1	2	3	4	5	6
1.	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू जिला–रायपुर	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	200 200 200 200	अ. गणित समूह – जेईई मेन्स, एडवांस–100 सीट ब. एन.डी.ए. प्रवेश परीक्षा – 50 सीट स. PVTG – 50 सीट
2.	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला–रायपुर	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	155 155 155 155	अ. जीव विज्ञान समूह – (नीट) – 105 सीट ब. PVTG – 50 सीट

3	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, दुर्ग जिला–दुर्ग	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या	अ. बालक हेतु गणित (जेईई मेन्स, एडवांस) – 75 सीट ब. कन्या हेतु जीव विज्ञान (नीट) – 50 सीट
4	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, बिलासपुर जिला–बिलासपुर	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या	अ. बालक / कन्या हेतु वाणिज्य / कला संकाय (सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए. / क्लैट) – 125 सीट
5	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर जिला–सरगुजा	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 125 सीट
6	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या 75 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 125 सीट
7	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कांकेर जिला–कांकेर	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 100 सीट
8	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, कोरबा जिला–कोरबा	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 100 सीट
9	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, जशपुर जिला–जशपुर	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 100 सीट
10	प्रयास सहशिक्षा आवासीय विद्यालय, पिनकापार जिला–बालोद	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या 50 बालक + 50 कन्या	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 100 सीट
11	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, पाटन जिला–दुर्ग(अ0जा0 वर्ग हेतु)	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	125 125 125 125	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 125 सीट
12	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, जिला–रायपुर (अ0जा0 वर्ग हेतु)	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	125 125 125 125	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 125 सीट
13	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय जिला–रायपुर (अ0पि0 वर्ग हेतु)	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	125 125 125 125	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 125 सीट
14	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जिला–बिलासपुर (अ0पि0 वर्ग हेतु)	2023–24 2024–25 2025–26 2026–27	9वीं 10वीं 11वीं 12वीं	125 125 125 125	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (जेईई मेन्स, एडवांस, नीट) – 125 सीट

(i) रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	– 03/05/2023 सायं 05.00 बजे से
(ii) रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	– 10/05/2023, अपरान्ह 2.00 बजे
(iii) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	– 25/05/2023, सायं 5.30 बजे
(iv) प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना एवं तकनीकी मूल्यांकन	– 26/05/2023, सायं 03.00 बजे
(v) रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	– पृथक से दी जायेगी।

3. **अनुबंध की अवधि**:– 04 वर्ष (2023–24, 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27) होगी। जिसमें सामान्य परिस्थितियों में निम्नुनसार शाला संचालन होगा :–

क्र	कक्षा	वर्ष	शाला संचालन की अवधि	अवकाश
1	कक्षा 9वीं	2023–24	15 जून से 30 अप्रैल 2024 तक	–
2	कक्षा 10वीं	2024–25	01 जून से 30 अप्रैल 2025 तक	01 मई 2025 से 30 मई 2025 तक
3	कक्षा 11वीं	2025–26	01 जून 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक	01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक
4	कक्षा 12वीं	2026–27	01 जून 2026 से 30 जून 2027 या प्रतियोगी परीक्षा के अंतिम काउंसलिंग तक	–

टीप :– **उपरोक्तानुसार किसी परिस्थितिवश परिवर्तन करना आवश्यक होने की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकेगा। शाला संचालन अवधि का ही भुगतान किया जायेगा।**

4. **कक्षा की क्षमता** :–(अ)100/125 विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 02 सेक्शन होगा।
(ब) रायपुर प्रयास बालक एवं कन्या आवा0 विद्या0 में 50–50 सीट का PVTG के लिए कक्षा 9वीं से प्रारंभ किया जाना है।
(स) रायपुर बालक प्रयास में 50 सीट का एक नया बैच एन.डी.ए. के लिए प्रारंभ किया जाना है।

5. **अध्यापन की अवधि** :– प्रति शिक्षक न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन/कोचिंग एवं शिक्षकीय कार्य कराना होगा, जिसमें बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम योजना, गृह कार्य जांच, विद्यार्थीवार विश्लेषण तथा डाउट क्लास आदि शामिल होगा। इसके आधार पर समय सारिणी बनाकर प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

6. **(अ) कक्षा 9वीं/10वीं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :–**
योजना का मुख्य उद्देश्य अध्ययनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त कराना है। इस हेतु कक्षा 9वीं, 10वीं का अध्यापन एवं उस स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे गणित, विज्ञान, ओलिंपियाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि परीक्षाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए, जिसके लिए कोचिंग संस्थाओं के Faculty Development Programme के अंतर्गत अध्यापन कराने वाले शिक्षक प्रशिक्षित होना आवश्यक है। प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में एन.डी.ए. का बैच पृथक से बनाए जाने पर उसके अनुसार फैकल्टी की व्यवस्था करनी होगी।

क्र.	विषय	फैकल्टी की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4
1.	गणित	01	किसी भी शासकीय NIT संस्था से न्यूनतम बी.टेक प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी (AICTE/UGC) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक /एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय जिसे NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त हो से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc हो तथा बी.एड हो।
2.	भौतिक शास्त्र	01	किसी भी शासकीय NIT संस्था से बी.टेक न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी (AICTE/UGC) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक. /एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय जिसे NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त हो से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc हो तथा बी.एड हो ।
3.	रसायन शास्त्र	01	किसी भी शासकीय NIT संस्था से बी.टेक न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी (AICTE/UGC) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक. /एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय जिसे NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc तथा बी.एड हो ।
4.	जीव विज्ञान	01	किसी भी शासकीय NIT संस्था से बी.टेक (बायोटेक्नोलाजी/बायोमेडिकल) न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या संबंधित विषय में किसी भी शासकीय संस्था से न्यूनतम 60 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड के साथ M.Sc उत्तीर्ण तथा बी.एड हो। या संबंधित विषय में यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय जिसे NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड/न्यूनतम 60% के साथ M.Sc तथा बी.एड हो।
5.	हिन्दी	01	संबंधित विषय में NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनामस संस्थान से न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) हो एवं स्नातक में हिन्दी साहित्य विषय के साथ बी.एड.हो।
6.	अंग्रेजी	01	संबंधित विषय में NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनामस संस्थान से न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) हो एवं स्नातक में अंग्रेजी साहित्य विषय के साथ बी.एड हो।

7.	संस्कृत	01	संबंधित विषय में NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनामस संस्थान से न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) हो एवं स्नातक में संस्कृत साहित्य विषय के साथ बी.एड. हो।
8	सामाजिक विज्ञान	01	संबंधित विषय में NAAC द्वारा न्यूनतम बी–ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनामस संस्थान से न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (M.A.) तथा बी.एड.हो। (जिसमें एक इतिहास/ राजनीति शास्त्र का तथा दूसरा भूगोल/अर्थशास्त्र विषय का हो) टीप– 02शिक्षक रखना होगा जो प्रत्येक माह के 15 दिन इतिहास/राजनीति का अध्ययापन करायेगा तथा अगले 15 दिन भूगोल/अर्थशास्त्र का अध्ययापन करायेगा।
9.	मानसिक योग्यता परीक्षण	01	किसी भी शासकीय NIT संस्था से बी.टेक न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.टेक/एम.टेक./एम.एस.सी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण तथा GATE क्वालीफाई हो।
10	मनोवैज्ञानिक /कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से स्नातक उपाधि। (आवश्यकतानुसार बालक एवं कन्या के लिए महिला एवं पुरूष काउंसलर उपलब्ध कराना होगा)।
11	शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक	01	(अ) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) अथवा योगा पाठ्यक्रम में स्नातक/डिप्लोमा। (ब) NDA के मापदंड अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण हेतु पृथक से सेना के रिटायर्ड अधिकारी रखना होगा।
12	प्रोजेक्ट इंचार्ज/समन्वयक	01	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानव–संसाधन ब्रांच में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA-HR) तथा किसी शैक्षणिक संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का प्रबंधन में अनुभव हो।

6. (ब) कक्षा 11वीं/12वीं उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षक/फैकल्टी की अनिवार्य योग्यताएं :– योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है, इस हेतु कक्षा 11वीं, 12वीं का अध्यापन एवं उस स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई मेन्स, एडवांस, नीट, एम्स, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., क्लैट, एम.बी.ए. इत्यादि परीक्षाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/ Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए। कोचिंग संस्थाओं के Faculty Development Programme के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्यापन हेतु शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में एन.डी.ए. का बैच पृथक से बनाए जाने पर उसके अनुसार फैकल्टी की व्यवस्था करनी होगी।

क्र.	विषय	फैकल्टी की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता **केवल गणित**
(जे.ई.ई. मेन्स/एडवांस) संकाय हेतु			**प्रथम फैकल्टी–** भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो।
1.	गणित	02	**द्वितीय फैकल्टी–** NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय/आटोनामस संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण तथा बी.एड. हो। या आई.आई.टी./एन.आई.टी. से एम.टेक/M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।

2.	भौतिक शास्त्र	02	**प्रथम फैकल्टी–** भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी–** NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण तथा बी.एड. हो। या आई.आई.टी./एन.आई.टी. से एम.टेक/ M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
3.	रसायन शास्त्र	02	**प्रथम फैकल्टी–** भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी–** NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण तथा बी.एड. हो। या आई.आई.टी./एन.आई.टी. से एम.टेक/ M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
केवल जीव विज्ञान (नीट/एम्स) संकाय हेतु			**प्रथम फैकल्टी –** एम.बी.बी.एस. में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण हो। या शासकीय संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.डी.एस./एम.डी.एस. हो। **द्वितीय फैकल्टी–** NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR उत्तीर्ण को प्राथमिकता।
1.	जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान	02	
2.	भौतिक शास्त्र	02	**प्रथम फैकल्टी–** भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी–** NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण तथा बी.एड. हो। या आई.आई.टी./एन.आई.टी. से एम.टेक/M.Sc न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण।
3.	रसायन शास्त्र	02	**प्रथम फैकल्टी –** भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी–**NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण हो।

क्र	विषय	फैकल्टी की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
जहां संयुक्त रूप से गणित एवं जीव विज्ञान दोनों संकाय संचालित है			
1.	गणित	02	**प्रथम फैकल्टी** – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण हो।
2.	भौतिक शास्त्र	02	**प्रथम फैकल्टी** – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण हो।
3.	रसायन शास्त्र	02	**प्रथम फैकल्टी** – भारत सरकार द्वारा स्थापित आई.आई.टी. से प्रथन श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में बी.टेक उत्तीर्ण हो। **द्वितीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण हो।
4.	जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान	02	**प्रथम फैकल्टी** – एम.बी.बी.एस.में न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण हो। या शासकीय संस्था से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड में एम.डी.एस. हो। **द्वितीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से M.Sc एवं बी.एड.हो। या UGC/NET/CSIR/GATE उत्तीर्ण हो।
वाणिज्य संकाय (सीए. सीएस. सीएमए) हेतु			
1.	वाणिज्य संकाय	04	**प्रथम फैकल्टी** – भारत सरकार द्वारा स्थापित सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. उपाधि धारक हो। **द्वितीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से एम.काम. एवं बी.एड.हो या UGC/NET उत्तीर्ण हो। एकाउन्टेन्सी विषय पढ़ाने हेतु। **तृतीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से एम.काम. एवं बी.एड. हो या

			UGC/NET उत्तीर्ण हो। **व्यवसायिक अध्ययन विषय पढ़ाने हेतु।** **चतुर्थ फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो। **या** UGC/NET उत्तीर्ण हो।
कला संकाय (क्लैट) हेतु			**प्रथम फैकल्टी** – भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी/महाविद्यालय से बी.ए. एल.एल.बी. न्यूनतम प्रथम श्रेणी/सनकक्ष ग्रेड उपाधि धारक हो। **या** किसी भी NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग संस्था से एल.एल.एम. उपाधि धारक जो न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण हो । **या** UGC/NET/CSIR उत्तीर्ण को प्राथमिकता। **द्वितीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो **या** संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो। **तृतीय फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो। **या** संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो। **चतुर्थ फैकल्टी** – NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी/समकक्ष ग्रेड से गणित विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो। **या** संबंधित विषय में UGC/NET उत्तीर्ण हो
1.	क्लैट (कला संकाय)	04	
सभी संकाय में निम्नांकित विषयों के फैकल्टी अनिवार्यतः रखना होगा।			
7.	हिन्दी	01	NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक स्तर में हिन्दी साहित्य विषय के साथ न्यूनतम 60% अंक/समकक्ष ग्रेड से हिन्दी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो। **या** UGC/NET उत्तीर्ण हो।
8.	अंग्रेजी	01	NAAC से न्यूनतम बी–ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक स्तर में अंग्रेजी साहित्य विषय

			के साथ न्यूनतम 55% अंक/समकक्ष ग्रेड से अंग्रजी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर एवं बी.एड.हो। या UGC/NET उत्तीर्ण हो।
9	मनोवैज्ञानिक / कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण हो। (आवश्यकतानुसार बालक एवं कन्या के लिए महिला एवं पुरुष काउंसलर उपलब्ध कराना होगा)।
11	शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक	01	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) अथवा योगा पाठ्यक्रम में स्नातक/डिप्लोमा।
12	प्रोजेक्ट इंचार्ज/समन्वयक	01	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मानव-संसाधन ब्रांच में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA-HR) तथा किसी शैक्षणिक संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का प्रबंध में अनुभव हो।

7. **(अ) रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :-**

(i) **आवेदन पत्र का शुल्कः**-इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्तें, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in तथा ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते है। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपयें 5000/- (शब्दों में पांच हजार मात्र) तथा जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।

(ii) (अ) इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। (ब) इच्छुक फर्म अमानत राशि रूपये 5.00 लाख ऑनलाईन जमा कर एक से अधिक संस्थाओं के लिए आवेदन कर सकते है।

(स) एक से अधिक संस्था/विद्यालय आबंटित होने पर प्रत्येक संस्था हेतु राशि रूपये 5.00 लाख का एफ.डी.आर. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के नाम से सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा।

(द) न्यूनतम अनिवार्य योग्यता का लिफाफा तथा वित्तीय दर का लिफाफा सभी आवेदनों के लिए एक ही होगा, जिसमें संस्थावार एवं प्राथमिकता क्रम का उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन पत्र का भाग-एक, प्रथम लिफाफा (अनिवार्य अर्हता संबंधी योग्यता) निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण
1.	आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था का भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन के अधीन विधि मान्य अधिनियिम अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। **टीपः- मूल फर्म आवेदन कर सकेंगी, Franchise मान्य नहीं होगा।**
2.	फर्म का पेन (PAN) एवं टेन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। **टीपः- पेन/टेन/जीएसटी नंबर संस्था/प्रोपराईटर फर्म के नाम से होना चाहिए।**

3.	(I) फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो का वर्ष 2019–20 से विगत 03 वर्षो का टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नही होना चाहिए। टर्न ओव्हर में फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। फर्म को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षो में (वर्ष 2022–23 से पूर्व) का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट), बैलेन्स शीट प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षो के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक–पृथक उल्लेख हो। (II) फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये सर्विस टेक्स एवं आयकर रिटर्न का विवरण। यदि टैक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4.	सुरक्षा निधि के रूप में राशि रू 5.00 लाख (शब्दो में राशि रू. पांच लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा। प्रारंभिक रूप से एक या एक से अधिक विद्यालयों के लिए आवेदन हेतु।
5.	भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो और यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो तो उसका निराकरण हो गया हो। पूर्व में सभी शिक्षको के वेतन भुगतान की कोई भी शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में संलग्नक **EC-07** के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

टीप–भाग एक–(प्रथम लिफाफा) में EC-1 से EC-8 तक की जानकारी रखा जाना है।

(iii) **आवेदन पत्र का भाग–दो (दूसरा लिफाफा)** इसके अंतर्गत TE-1 से TE-9 तक की जानकारी के साथ पृथक से लिफाफा क्रमांक–02 में रखकर सीलबंद किया जाना चाहिए।

(iv) **आवेदन पत्र का भाग–तीन (वित्तीय प्रस्ताव)** इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) का लिफाफा FB-1 रखा जाना है, प्रारूप संलग्न है। उपरोक्तानुसार तीनों लिफाफों को ऑनलाईन में प्रदत्त निर्देश अनुसार भरा जाना है।

(v) इसके पश्चात् भाग–1, भाग–2 एवं भाग–3 के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होगें। आवेदक जिन विद्यालयों के लिए आवेदन कर रहा है, लिफाफा के उपरी भाग पर उन सभी विद्यालयों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगें। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील और हस्ताक्षर होना चाहिए।

(vi) सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक–01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी योग्यता संबंधी) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।

(vii) आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक Power of Attorney द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।

7.(ब) सुरक्षा निधि–

(i) आवेदक फर्म को एक या एक से अधिक विद्यालय के लिए आवेदन करने पर **राशि रू. 5.00 लाख** का सुरक्षा निधि की राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।

(अ) अंतिम चयन में यदि फर्म को एक से अधिक विद्यालय आंबटित होता है तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में प्रत्येक आबंटित विद्यालयों के लिए **राशि रू. 5.00 लाख के मान से सुरक्षा निधि की राशि का एफडीआर कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर में जमा करना होगा।**

(ब) आवेदक फर्म का चयन नहीं होने पर निविदा प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि (ऑनलाईन) की राशि वापसी योग्य होगी।

(स) चयनित/अनुबंधित फर्म को कार्य आबंटित होने के उपरांत अनुबंध के समय प्रत्येक आबंटित विद्यालय के स्वीकृत सीट के मान से कुल कार्य की लागत का 10% राशि का बैंक गारण्टी **कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर** के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।

(द) इस प्रकार 10% राशि का बैंक गारंटी प्राप्त होने पर पूर्व में जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि (ऑनलाईन/एफडीआर) वापस की जाएगी। यह 10% बैंक गारंटी अंतिम किश्त की स्वीकृति के उपरांत वापसी योग्य होगी।

(ii) निम्नांकित परिस्थितियों में सुरक्षा निधि की राशि बैंक गारंटी से राजसात कर ली जायेगी–

(अ) यदि अनुबंधित संस्था अनुबंध अनुसार कार्य करने से मना करता है।

(ब) यदि अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है।

(स) आवेदक संस्था द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी देकर कार्यादेश प्राप्त कर लेता है।

8. **प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :–** योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता की संस्था को चयन में प्राथमिकता देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रकिया (**Quality Cum Cost Based System**) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :–

8.1 **तकनीकी मूल्यांकन :–** न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा। जिसका मूल्याकंन निम्नलिखित मानको के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पॉवर पॉईट प्रेजेन्टेशन के आधार पर किया जायेगा –

क्र.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या	अंक	अधिकतम अंक
1	विगत 05 वर्ष के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर JEE एवं NEET/ क्लेट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कराने की औसत संख्या	2000 से 5000 5000 से 10000 10000 से अधिक	04 06 10	10
2	विगत 05 वर्ष के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य** स्तर पर JEE एवं NEET/ क्लेट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान कराने की औसत संख्या	200 से 500 500 से 1000 1000 से अधिक	02 03 04	04
3	विगत 05 वर्षो के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का **राष्ट्रीय स्तर** पर JEE (Mains) / क्लेट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओवर आल 10000 रैंक तक प्राप्त के आधार	1 से 100 100 से 500 500 से अधिक	04 06 08	08

	पर।			
4	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का **छत्तीसगढ़ राज्य स्तर** पर JEE (Mains)/ क्लैट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 10000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 10 10 से 25 25 से अधिक	02 03 04	04
5	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का **राष्ट्रीय स्तर** पर NEET/ क्लैट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 100 100 से 500 500 से अधिक	04 06 08	08
6	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का **छत्तीसगढ़ राज्य स्तर** पर NEET/ क्लैट, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए., बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	1 से 25 25 से 50 50 से अधिक	02 03 06	06
7	कोचिंग संस्था के विगत 03 वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर।	50.00 लाख तक 50.00-से 100.00 लाख तक 100.00 लाख से उपर प्रति 50.00 लाख पर-01 अंक	03 06 10	10
8	Study Material की गुणवत्ता	-		10
9	योजना कियान्वयन की विस्तृत रणनीति तथा Approach and Methodology पर पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	-		40
	योग -			100

8.2 तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण - तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंक में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय लिफाफा ऑनलाईन खोला जायेगा। उपरोक्तानुसार अर्ह संस्थाओं की संख्या 05 से कम होने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी।

8.3 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :-वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नांकित सूत्र पर आधारित होगा :-

EF = 100 × FM/F

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

8.4 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण :- प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 70 प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 30 प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनों का योग कर अंको के घटते क्रम अनुसार कोचिंग संस्थाओं का अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा।

9. **कोचिंग संस्थाओं को कार्य आबंटित किये जाने की प्रक्रिया** -

(अ) श्रेणीकरण - प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कोचिंग संस्थाओं का मूल्यांकन पश्चात् अंतिम श्रेणीकरण किया जाकर कोचिंग संस्थाओं का पैनल बनाया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले संस्था को प्रथम स्थान देते हुये कार्य करने हेतु सहमति पत्र (Letter of acceptance) कोचिंग संस्था को जारी किया जाएगा।

(ब) फैकल्टी के अध्यापन कुशलता का डेमो - Letter of acceptance जारी होने के 15 दिवस के अंदर EOI में दर्शित निर्धारित योग्यता के फैकल्टी/स्टॉफ की सूची सभी अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना होगा। अध्यापन कुशलता हेतु निर्धारित - 40 अंक है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

(i) शैक्षणिक योग्यता, विषय ज्ञान एवं विषय की समझ–20 अंक
(ii) शिक्षण कौशल – 10 अंक
(iii) विषय विशेषज्ञों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं समस्या समाधान के तरीके – 05 अंक
(iv) व्यवहार एवं व्यक्तित्व विकास – 05 अंक

60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर कोचिंग संस्था/फर्म को नवीन फैकल्टी का डेमो कराना होगा। डेमो हेतु अधिकतम 03 अवसर दिया जाएगा।

(स) अनुबंध की पूर्व की तैयारी – कोचिंग संस्था/फर्म के फैकल्टी के अंतिम चयन के उपरांत 03 दिवस के अंदर विद्यालय के लिए कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समस्त फैकल्टी की सूची योग्यता/बायोडाटा (02 फोटो सहित), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, निवास–प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि, शिक्षकों के साथ किया गया अनुबंध जिसमें वेतन का विवरण का अंतिम रूप प्रदान करने के पश्चात् ही अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी तथा कार्यादेश जारी किया जाएगा।

(द) कोचिंग संस्था/फर्म के अनुबंध निरस्त होने पर कार्यवाही – किसी कारण से कोचिंग संस्था द्वारा कार्य करने में असमर्थता/असफलता या अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में अंतिम मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में कोचिंग संस्थाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन में न्यूनतम दर प्राप्त संस्था के दर पर ही कार्यादेश दिया जा सकेगा।

(इ) कोचिंग संस्था/फर्म का मूल्यांकन – यद्यपि चयनित कोचिंग फर्म का अनुबंध कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए किया जाएगा किंतु प्रथमतः कार्यादेश कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अध्यापन के लिए जारी किया जाएगा। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कोचिंग संस्था द्वारा अध्यापन कराए गए विद्यार्थियों की उपलब्धि का विश्लेषण समिति द्वारा किए जाने के उपरांत अनुशंसा अनुसार कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए कार्यादेश कोचिंग फर्म को जारी किया जाएगा। समिति द्वारा अनुशंसा में यह पाया जाता है कि कोचिंग संस्था ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है तथा विद्यार्थियों की प्रगति उत्कृष्ट स्तर के नहीं है की स्थिति में वर्तमान कोचिंग संस्था को कार्यादेश नहीं किया जाएगा तथा रोकी गई 25 प्रतिशत की राशि प्रदान नहीं की जाएगी एवं अन्य कोचिंग संस्थाओं को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन हेतु कार्यादेश प्रदान किया जा सकेगा।

10. "रूचि की अभिव्यक्ति" अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन हेतु समिति एवं अधिकार :–

(अ) योजना नियमावली–2020 अनुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेखों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(ब) सर्वाधिक उपयुक्त प्रस्तावकर्ता से निगोसियेशन किया जा सकेगा।

(स) मूल्यांकन समिति को अधिकार होगा कि–

- वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकें।
- किसी प्रस्ताव के आंशिक या पूर्णता से स्वीकार्य कर सकें।
- समिति के राय में यदि कोई प्रस्ताव ऐसा है कि जो कार्य करने मे सक्षम नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर सकेगी।
- आवेदक द्वारा मिथ्या पूर्ण या कपट पूर्ण जानकारी दिया गया हो या जानकारी जानबूझकर छिपाई गई हो तो उस प्रस्ताव को निरस्त कर संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

11. **चयनित कोचिंग संस्था/फर्म के दायित्व :–**

(अ) **उपलब्ध कराये जा रहे फैकल्टी की योग्यता/विशेषज्ञता** – अनुबंध एवं कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर फैकल्टी के अध्यापन कौशल परीक्षण में चयनित एवं अंतिम रूप दिए गए फैकल्टी की सूची संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/प्रशासकीय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए फैकल्टी सूची का पुनः परीक्षण अपने स्तर से करेंगे तथा रिपोर्ट आयुक्त, कार्यालय को प्रेषित करेंगे। आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन पश्चात् फैकल्टी अध्यापन/कोचिंग कार्य प्रारंभ करेंगे। पूर्व से कार्यरत फैकल्टी के अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थिति के कारण स्थानापन्न समकक्ष योग्यता के फैकल्टी की व्यवस्था अधिकतम एक सप्ताह में करना होगा। स्थानापन्न फैकल्टी की योग्यता एवं अनुभव EOI के अनुसार होने पर कार्यालय आयुक्त, मुख्यालय में भेजकर अध्यापन कौशल का परीक्षण कराना होगा तथा इसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। EOI में दर्शित योग्यता होने पर तथा अध्यापन कौशल में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने पर कोचिंग फर्म पर पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। इसका निर्धारण हेतु तत्काल प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि कोचिंग संस्था बार–बार फैकल्टी परिवर्तन कर रही है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध निरस्त कर अन्य उपयुक्त कोचिंग संस्था को कार्य आबंटित कर दिया जाएगा।

(ब) **शैक्षणिक प्रविधि–** कोचिंग फर्म के फैकल्टी का दायित्व होगा कि वे विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु तैयार करें। विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शिक्षक प्रारंभ से ही प्रतिदिन का लेशन प्लान तथा शिक्षक डायरी बनायेंगे तथा संस्था के प्राचार्य से उनका अनुमोदन करायेंगे। विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार किया जाये कि उनके क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, तार्किक क्षमता में वृद्धि हो। हिन्दी, अंग्रेजी के भाषा में निपुण हो तथा संप्रेषण क्षमता उत्कृष्ट स्तर का हो। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के स्तर से साथ–साथ अध्यापन एवं कोचिंग कराया जायेगा तथा इनका साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छैमाही, प्री–बोर्ड एवं फाइनल परीक्षा आयोजित कर उनका मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक फैकल्टी का दायित्व होगा कि वह साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट, मध्यम एवं कमजोर बच्चों का वर्गीकरण करें तथा मध्यम एवं कमजोर बच्चे के उपर विशेष कार्य करते हुये उन्हें उत्कृष्ट स्तर पर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा कोचिंग संस्था के भुगतान में कटौती की जायेगी। प्रत्येक फैकल्टी को यह रिकार्ड रखना होगा कि अमुक विद्यार्थी किस विषय में एवं किन कारणों से कमजोर है तथा फैकल्टी द्वारा इस संबंध में क्या कार्ययोजना बनाई गई है का विद्यार्थीवार पूर्ण प्रशासकीय अधिकारी को प्रतिमाह सबमिट करना होगा तथा कोचिंग संस्था के संचालक की उपस्थिति में सभी फैकल्टी की समीक्षा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में की जाएगी। समीक्षा पश्चात् मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजी जाएगी।

कोचिंग सस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट/प्रैक्टिस पेपर एवं ऑन–लाईन प्रीटिंग एवं अवलोकन टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

मध्यम एवं कमजोर बच्चों के शैक्षणिक प्रगति सुधारने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जायेगी एवं इसका कियान्वयन किया जायेगा। विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार न होने पर कोचिंग संस्था एवं प्रशासकीय अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

(स) विद्यार्थियों को पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्रों के आधार पर तैयारी–

i. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैपटर वाईस (कक्षा 9वी, 10वी) के विगत 10 वर्षो के प्रश्न–पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, ओलम्पीयाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि) परीक्षाओं के प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।

ii. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैपटर वाईस (कक्षा 11वी, 12वी) के विगत 10 वर्षो के प्रश्न–पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, जेईई मेन्स/एडवांस, नीट, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, एनडीए इत्यादि) परीक्षाओं के प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यून्तम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।

(द) मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउन्सलर का दायित्व– प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जीवन निर्माण हेतु काफी परिश्रम करना पड़ता है परिणामस्वरूप विद्यार्थी कभी–कभी तनावग्रस्त होते रहते है तथा मनोबल भी गिरता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक के रूप में कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक दिन कक्षाओं में जायें तथा विद्यार्थियों से सामान्य चर्चा कर उनकी मनोदशा का अध्ययन करें। तनावग्रस्त एवं कमजोर मनोबल वाले विद्यार्थी पाये जाने पर नियमित काउसलिंग करे तथा इन्हे इस स्थिति से बाहर लाये। इस प्रकार काउंसलिंग किये गये बच्चों की जानकारी दिनांकवार एक पंजी में दर्ज करे, जिसमें बच्चें की समस्या तथा उसके निराकरण की जानकारी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह कैरियर से संबंधित समाचार पत्रों, रोजगार नियोजन, रोजगार समाचार के माध्यम से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण रोजगार सूचनाओं को सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा साप्ताहिक विभिन्न कैरियर के अवसरो की जानकारी हेतु कक्षा भी लेवें।

(ई) प्रोजेक्ट इन्चार्ज/समन्वयक का दायित्व– प्रयास संस्था हेतु कोचिंग फर्म द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज का दायित्व होगा कि वह प्रयास स्कूल में सभी शिक्षकों एवं प्रशासकीय अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करें। शिक्षक की उपलब्धता, निरंतर शाला में बनी रहें, शिक्षक अनुपस्थित न रहें। शिक्षकों का समय पर वेतन प्राप्त होता रहें इस हेतु वह निरंतर कोचिंग संस्था के संचालक से बात कर प्रतिमाह भुगतान कराये। काचिंग संस्था द्वारा दी जा रही स्टडी मटेरियल एवं अन्य सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इनका दायित्व होगा कि सभी विद्यार्थी जो जिस स्ट्रीम के है, उनसे संबंधित स्ट्रीम के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भरवाना, परीक्षा में शामिल कराना, उपस्थित शिक्षकों द्वारा लिये गये परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा परफारमेन्स तथा प्रतिमाह प्रश्नपत्र आदि की उपलब्धता तथा इसका सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी से कराना।

(फ) परीक्षा पश्चात् अन्य सहायता – कोचिंग संस्था का दायित्व होगा कि बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति पश्चात् भी परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थियों को एवं विभाग को सूचना देना, जानकारी देने का कार्य करेंगे। किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा पश्चात् विद्यार्थियों के अगले

कक्षा के पाठ्यक्रमों का मूलभूत परिचय, व्यक्तित्व विकास, इंग्लिश स्पीकिंग, विज्ञान मॉडल निर्माण जैसे रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण देने हेतु उस वर्ष के अनुबंध अवधि तक के लिए प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त के साथ मिलकर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करायेंगे तथा बनाए गए कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन की उपलब्धि से मुख्यालय को पूर्ण विवरण के साथ अवगत करायेंगे।

(य) **फैकल्टी के लिये आचार संहिता** – शिक्षण तथा कोचिंग कार्य में नियोजित शिक्षको को विद्यालय के गरिमा के अनुरूप अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी तथा इन तथ्यो से पूर्णतः अवगत कराने का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था की होगी। विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग या निजी कोचिंग में संलग्न नही किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

12. **फैकल्टी के लिए आवासीय सुविधा**– कोचिंग संस्था को फैकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर यथा संभव समीप में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

(अ) **कोविड/संकटकालीन स्थिति में शिक्षा व्यवस्थाएं**– कोचिंग संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन एवं कोचिंग देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

(ब) **दस्तावेजों का सत्यापन**–प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजो की सत्यता का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु ओरिजनल नोटराईज्ड शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) **फैकल्टी हेतु अध्यापन हेतु प्रतिदिन की अवधि**– शिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम 08 घंटे का अध्यापन एवं अध्यापन से संबंधित अन्य कार्य करना होगा इसके अंतर्गत प्रतिदिन पाठ्यक्रम की योजना तैयार करना, टीचर डायरी तैयार करना, विद्यार्थियों को दिये गये होमवर्क की जांच करना, कक्षा अध्यापन करना, डाउट क्लास लेना तथा कमजोर बच्चों के लिये विशेष कक्षाएं लेना तथा मूल्यांकन किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त प्राचार्य/प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना शामिल होगा।

13. **कोचिंग संस्था को भुगतान का तरीका** –

(अ) भुगतान हेतु निम्नानुसार मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है किंतु अपरिहार्य/संकटकालीन स्थिति में इस प्रक्रिया में समिति द्वारा विचार कर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से संशोधित प्रक्रिया तय की जा सकती है, जो सभी को मान्य होगा।

I. सत्र 2023–24 (कक्षा 9वीं) से सत्र 2026–27 (कक्षा 12वीं) तक कुल चार वर्ष के लिए एक समान दर पर कोचिंग संस्थाओं को शर्तों के अधीन अनुबंधित किया जायेगा किन्तु कक्षा 9वीं एवं 10वीं में विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपलब्धि के मूल्यांकन **"बहुत अच्छा"** स्तर का पाये जाने पर ही कोचिंग संस्था को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्यापन का अवसर प्रदान किया जायेगा। **"बहुत अच्छा"** का स्तर निम्नानुसार होगा :–

(अ) कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत विद्यार्थी 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों।

(ब) प्रतियोगी परीक्षाओं (NTSE स्तर) के मूल्यांकन में कम–से–कम 50 प्रतिशत विद्यार्थी 40 प्रतिशत से से अधिक अंक प्राप्त किए हों।

II. कुल 04 वर्ष हेतु कुल अनुबंधित राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान चार वर्षों में विभिन्न चरणों में किया जायेगा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रोजेक्ट समाप्त होने के पश्चात् कोचिंग संस्थाओ के द्वारा किए गये अध्यापन एवं विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि के आधार पर किया जायेगा।

III. 80 प्रतिशत राशि में से अधिकतम 30 प्रतिशत राशि का भुगतान कक्षा 9वीं एवं 10वीं (दो वर्ष) में किया जायेगा तथा अधिकतम 70 प्रतिशत राशि का भुगतान कक्षा 11वीं एवं 12वीं (दो वर्ष) की अवधि में विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

IV. कोचिंग संस्था को प्रत्येक 02 माह में उसके द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर परीक्षण उपरांत तीसरे माह तक भुगतान किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

V. अनुबंधित राशि की गणना शाला में प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या एवं अनुबंधित दर के आधार पर किया जायेगा।

VI. प्रत्येक भुगतान के पूर्व नियमानुसार समस्त कर एवं प्रावधानित कटौतियाँ की जायेगी।

(ब) कोचिंग संस्था को विभिन्न चरणों में राशि का भुगतान का तरीका –

(1) कोचिंग संस्था द्वारा देयक प्रस्तुत करने का प्रक्रिया– कोचिंग संस्था द्वारा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अपना देयक निम्नांकित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा –

I. प्रत्येक माह में किए गए फैकल्टी को भुगतान का बैंक स्टेटमेंट।

II. फैकल्टी विवरण :–

क्र.	डेमो उपरांत अनुमोदित फैकल्टी का नाम	अध्यापन का विषय	माह में उपस्थित दिन की संख्या	माह में अनुपस्थित दिन की संख्या
1	2	3	4	5

टीपः– माह में फैकल्टी का अधिकतम एक दिन अनुपस्थिति/अवकाश मान्य होगा।

III. शैक्षणिक मूल्यांकन में ब्राइट विद्यार्थियों (85% से अधिक अंक प्राप्त) की मेरिट सूची :–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

IV. शैक्षणिक मूल्यांकन में मध्यम विद्यार्थियों (65 से 85% तक) की मेरिट सूचीः–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

V. शैक्षणिक मूल्यांकन में कमजोर विद्यार्थियों (65% से कम) की मेरिट सूचीः–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	विषयवार प्राप्तांक (कक्षा के विषयानुसार)					कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
		हिंदी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	अन्य विषय जो संचालित हो रहे हों			

VI. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से ब्राइट विद्यार्थियों (50 प्रतिशत से ऊपर) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

VII. प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से मध्यम विद्यार्थियों (40 प्रतिशत से ऊपर एवं 50 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

VIII.प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों (न्यूनतम 30 प्रतिशत से ऊपर एवं 40 प्रतिशत तक) की मेरिट क्रम में सूची उपरोक्त प्रपत्र में।

IX. अनुपस्थित फैकल्टी के स्थान पर स्थानापन्न (Subsitute) फैकल्टी का विवरण :-

क्र.	अनुपस्थित फैकल्टी का नाम	स्थानापन्न फैकल्टी का विवरण		शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (EOI) अनुसार
		नाम	अध्यापन विषय	

X. शिक्षक डायरी :- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए।

XI. पाठ्य योजना :- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाए कि योजना अनुसार कितने प्रतिशत पूर्ण हुए।

XII. मनोवैज्ञानिक/करियर काउंसलर द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिमाह मानसिक परीक्षण कार्य तथा उपलब्धि एवं संधारित पंजी का प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण।

XIII. शारीरिक शिक्षक/योग शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिमाह मानसिक परीक्षण कार्य तथा उपलब्धि।

XIV. मानसिक योग्यता परीक्षण अंतर्गत लिए गए पाठ्यक्रम एवं उसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि।

(2) मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कटौतियाँ –

I. फैकल्टी के अनुपस्थित रहने पर स्थानापन्न फैकल्टी की व्यवस्था होने तक प्रत्येक अनुपस्थित फैकल्टी के लिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्रति दिवस 1500/- से मान से कटौती की जाएगी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए अनुपस्थित फैकल्टी के लिए प्रति दिवस 2500/- के मान से कटौती की जाएगी। अनुपस्थित फैकल्टी के स्थान पर (Subsitute) फैकल्टी तभी मान्य किया जाएगा जब फैकल्टी किसी वैध कारणों से अनुपस्थित रहा हो। वैध कारणों का प्रमाणित दस्तावेज के साथ मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

II. Subsitute फैकल्टी EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार उपलब्ध कराना जरूरी होगा। किसी भी परिस्थिति में Subsitute फैकल्टी उपलब्ध कराने पर प्रति Subsitute फैकल्टी के मान से 30,000/- पेनाल्टी कटौती की जाएगी।

III. 80 प्रतिशत से कम ब्राईट विद्यार्थी पाए जाने पर कुल राशि का 10 प्रतिशत कटौती किया जाएगा।

IV. पाठ्य योजना अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने पर 10 प्रतिशत राशि का कटौती किया जाएगा।

V. सामान्यतः उपरोक्त आधार पर गणना कर राशियों की कटौती उपरांत राशि का भुगतान किया जाएगा किन्तु कोचिंग संस्था द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न किए जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा अन्य पेनाल्टी भी अधिरोपित की जा सकेगी।

(3) देयकों का परीक्षण एवं भुगतान –

कोचिंग संस्थाओं/फर्म द्वारा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक आवश्यक अभिलेखों के साथ देयक प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का विद्यालय में संधारित पंजियों एवं अभिलेखों जिसे

प्रतिदिन/प्रतिमाह जैसी स्थिति हो को प्रशासकीय अधिकारी द्वारा जांच किया जाकर प्रमाणित किया जाने का दायित्व है से मिलान कर देयकों का परीक्षण 03 दिवस में करेंगे तथा सहायक आयुक्त/कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। सहायक आयुक्त का दायित्व होगा कि वे देयकों का परीक्षण एक सप्ताह में करेंगे तथा कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृति अनुसार भुगतान की कार्यवाही यथा संभव अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा।

(स) शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान –

(1) शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कोंचिंग फर्म द्वारा कराये गये अध्यापन के फलस्वरूप कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के निम्नानुसार परिणाम के आधार पर किया जायेगा :–

क्रमांक	विवरण	न्यूनतम उपलब्धि
1	कम से कम 05 प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम	95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
2	कम से कम 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम	कम से कम 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
3	IIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा उपरांत B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 05 प्रतिशत
4	NIT या समकक्ष की अंतिम प्रतियोगी परीक्षा B.Tech पाठ्यक्रम में चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 15 प्रतिशत
5	NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा द्वारा MBBS पाठ्यक्रम हेतु चयन उपरांत संस्थान में प्रवेश	न्यूनतम 10 प्रतिशत
6	उपरोक्त क्रमांक 02, 03, 04 के अतिरिक्त प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों यथा IISc, TIFR, JNU, DU, NLU, NATA,ICAR, NDA एवं समकक्ष संस्थानों में प्रवेश	न्यूनतम 10 प्रतिशत
7	CA, CMS, HNLU पाठ्यक्रम में अंतिम चयन	न्यूनतम 20 प्रतिशत
8	CUCET के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत
9	व्यापम द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत प्रवेश	न्यूनतम 20 प्रतिशत

टीपः– गणित समूह के विद्यालय हेतु 1,2,3,4,6,8,9 प्रभावशील होगा। जीवविज्ञान समूह हेतु 1,2,5,6,8,9 प्रभावशील होगा, वाणिज्य एवं कला समूह हेतु 1,2,6,7,8,9 प्रभावशील होगा।

(2) उपरोक्त अनुसार कोचिंग फर्म द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जाने पर अनुबंध समाप्ति तथा विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर कोचिंग संस्था को निम्नांकित दस्तावेज प्रमाणित कर प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा :–

I. पूर्व में किये गये भुगतान का जी.एस.टी. जमा करने का प्रमाण पत्र तथा समस्त करों का विवरण।

II. कोचिंग कार्य करने हेतु नियोजित शिक्षको को कोचिंग संस्था/फर्म के खाते से शिक्षकों/फैकल्टी के बैंक खातें में उनके लिए तय पारिश्रमिक की राशि जमा कर दिये जाने के प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण–पत्र।

III. मासिक, त्रैमासिक, छःमाही, प्री–बोर्ड एवं अंतिम बोर्ड परीक्षा परिणाम।

IV. प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थीवार मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं मे अंतिम रूप से चयन एवं प्रवेश होने के प्रमाण स्वरूप प्रवेशित संस्थान का जारी प्रमाण पत्र।

V. शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षक डायरी, लेसन प्लान आदि।

(3) प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थाओं से प्राप्त अंतिम देयक एवं संलग्न प्रमाणित अभिलेखों को 15 दिवस में परीक्षण एवं जांच उपरांत प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर परीक्षण रिपोर्ट सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा परीक्षण उपरांत अनुसंशा सहित प्रस्ताव 15 दिवस में विभागाध्यक्ष/आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) आयुक्त, कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् मुख्यालय स्तर पर गठित परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण उपरांत समिति के अनुसंशा के आधार पर अंतिम भुगतान का निर्णय लिया जायेगा। किन्ही विशेष परिस्थितियों जैसे कोविड–19 आदि के कारण उक्त अवधि में कंडिका–13 (स) (1) अनुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विश्लेषण कर अनुपातिक कटौति का निर्णय ले सकेगी।

14. अनुबंध की सामान्य शर्तें –

(i) अनुबंध की व्याख्या भारत में लागू कानून अनुसार होगी।

(ii) अनुबंध की अवधि **"रूचि की अभिव्यक्ति"** में दर्शित तथा अनुबंध अनुसार अनुबंध की अवधि लागू होगी।

(iii) रूचि की अभिव्यक्ति में दर्शाएं अनुसार अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा।

(iv) **Sublet पर प्रतिबंध** :– कोचिंग संस्था द्वारा किसी अन्य को कार्य Sublet किया जाना पाया जाता है, तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

(v) **करों की कटौती** :– इसके संबंध में सेवा संबंधी कार्यों के लिए भारत शासन द्वारा लागू टैक्स के नियम अनुसार राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार आयकर संबंधी नियम अंतर्गत आयकर के स्त्रोत (TDS) का नियमानुसार कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो कर लागू है उनकी भी कटौती की जा सकेगी।

(vi) **अनुबंध का समाप्त किया जाना** :– शर्तो के उल्लंघन के आधार पर 15 दिवस के नोटिस पर अनुबंध समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार फर्म के दिवालिया होने पर भी अनुबंध समाप्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा शासन/विभाग को भी हानि की भरपाई कोचिंग फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर पूर्ण की जावेगी।

(vii) **योजना का नियंत्रण संचालन एवं समीक्षा** :– योजना का कियान्वयन जिला कलेक्टर के अधीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा तथा प्रयास स्कूल स्तर पर प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के नियंत्रण में कोचिंग फर्मो को कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कोचिंग फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता, कार्ययोजना अनुसार कार्य तथा उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में पाई गई कमियों का निराकरण करना होगा अन्यथा नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(viii) **प्रचार–प्रसार** :– कोचिंग फर्म को इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की घोषणा व जानकारी देने का अधिकार नहीं होगा।

(ix) **विवाद की स्थिति में निपटारे की प्रक्रिया :–** सर्वप्रथम विवाद की स्थिति में अभ्यावेदन जिला कलेक्टर को दिया जा सकेगा इसके पश्चात इस निर्णय पर संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा द्वितीय अपील सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को की जा सकेगी। इनका निर्णय अंतिम होगा। अन्य स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर, छ.ग. होगा।

(x) **संकटकालीन स्थिति में :–** कोरोना वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण या अन्य संकटकालीन स्थिति के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थियों के ऑनलाईन उपस्थिति एवं शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जायेगा। ऑनलाईन शिक्षण के लिए पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।

(xi) स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा, प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2020 द्वारा जारी दिनांक 16.09.2021 में उल्लेख अनुसार तथा प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा।

15. रूचि की अभिव्यक्ति का निरस्तीकरण :– किसी भी अपरिहार्य स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" की तिथि में वृद्धि की जा सकेगी या आवश्यकता पड़ने पर निरस्त किया जा सकेगा। इस पर किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

16."रूचि की अभिव्यक्ति" के कंडिकाओं की व्याख्या का अधिकार :– "रूचि की अभिव्यक्ति" के किसी भी कंडिका के संबंध में व्याख्या/संशोधन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को निहित होगा।

(शम्मी आबिदी)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं/10वीं तथा 11वीं/12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2023-24)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक .... दिनांक .... के संदर्भ में)

कोचिंग संस्था द्वारा किस-किस विद्यालय के लिए आवेदन किया गया है।

1.............................. 2.............................. 3..............................

भाग-एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था का भारत सरकार या छत्तीसगढ शासन के अधीन विधि मान्य अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। **टीपः- मूल संस्थाएं आवेदन कर सकेंगी, Franchise मान्य नहीं होगा।**	
2.	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। **टीपः- पेन/टेन/जीएसटी नंबर संस्था/प्रोपराईटर फर्म के नाम से होना चाहिए।**	
3.	(अ.) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो का विगत 03 वर्षो का टर्न ओव्हर **50.00 लाख** से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षो (वर्ष 2022-23 से पूर्व) का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनो वर्षो के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख होगा। (ब.) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये सर्विस टेक्स एवं आयकर रिटर्न का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रू **5.00 लाख (शब्दो में पांच लाख मात्र)** का अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।	
5.	भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो। इस संबंध में संलग्नक .... के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (EC-1 से EC-8 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

परिशिष्ट–EC-1

(Incorporation Certificate of farm/ company/ society)

परिशिष्ट EC-2

जीवित PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट EC-3

जीवित GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट EC-4

जीवित IT Return प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट– EC-5

कोचिंग संस्था / फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था / फर्म का नाम तथा पता .... का ऑडिट रिपोर्ट का मैने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर JEE/NEET/CA, CS, CMA & CLAT की कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2017–18	
2	2018–19	
3	2019–20	
4	2020–21	
5	2021–22	

कोचिंग संस्था / फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

**Signature of Statutory Auditor
with Seal
UDIN No.**